न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**2834 सन् 2026**

01. भगत सिंह पुत्र आनन्द सिंह,

02. हरेन्द्र सिंह पुत्र जयवीर, निवासीगण ग्राम अगराई, थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–47 सन् 2025

अन्तर्गत धाराः–115(2), 352 व 110 बी.एन.एस.

थानाः–खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर,

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जान के कारण निरस्त किया जा चुका है।

02. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को उक्त अपराध में रंजिशन झूंठा फसाया गया हैं। आवेदकगण ने वादी के पुत्र के साथ ना तो मारपीट की, ना उसके साथ गाली गलौच की और ना हीं उसे जान से मारने की धमकी दी। वादी के पुत्र के अत्यधिक नशे में होने के कारण शराब पीकर बारात में नाचने के दौरान धक्का मुक्की में गिरने के कारण उसे चोटें आयी हैं। चुटैल की सभी चोटें साधारण हैं, उसे कोई फ्रेक्चर नहीं है। घटना दिनांक 07.02.2025 की रात्रि 11 बजे बतायी जाती है जिसका एफ.आई.आर. अगले दिन शाम 04 बजे लगभग 17 घण्टे बाद दर्ज करायी गयी है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 16 किमी0 है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदकगण को दौरान विवेचना धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर छोडा गया था। आवेदकगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा आवेदकगण के कस्टोडियल इन्ट्रोगेशन की आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

04. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र शक्ति सिंह के साथ मारपीट करना व गाली गलौंच कर वादी के पुत्र के सिर में रॉड मारने, जिससे वादी का पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौज0 द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को विवेचना के दौरान धारा 35 (3) बी.एन.एस.एस के नोटिस पर रिहा गया था। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

06. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. विवेचना के दौरान आवेदकगण/अभियुक्तगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 35 (3) के नोटिस पर रिहा किया गया है। आवेदकगण/

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 18:00:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण विवेचना के दौरान अन्तर्गत धारा 35(3) बी.एन.एस.एस के नोटिस पर विवेचना में सम्मिलित हुए हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण को विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।
03. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।
04. आवेदकगण/अभियुक्तगण आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेंगे,
05. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
07. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा आवेदकगण आदेश की दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आदेश के अनुक्रम में जमानतनामे निष्पादित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा पृथक–पृथक रूप से 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 01.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.

आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015